



फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा हलीचन्द विपक्षी गेवीलाल
वाफ पत्रावली संख्या 256/16 सन _____

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>10/2/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>जवाब G/C</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>रु</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>8/4/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
	<p>8/4/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>नाउक</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>जि</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>23/6/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
	<p>23/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ घूमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>28/7/25</u> को पेश हो। B/o S</p>	



28/7/25

पचावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण
मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण
मय वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं।
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। प्रकरण वर्तमान में काउन्टर
क्लेम के जवाब में लम्बित हैं। वादीगण
को काउन्टर क्लेम के जवाब पेश करने
हेतु भी पद्यति अवसर दिया गया था
परन्तु वादीगण द्वारा अब तक काउन्टर वाद
का जवाब पेश नहीं किया गया। इससे
स्पष्ट आह्वित होता है कि वादीगण अपने
वाद के प्रति सजग नहीं हैं या जानबुझकर
प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं।
आज की वादीगण एवं उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण
मय वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण
का वाद अदम लाजरी अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। पचावली फंसल
क्षुमार लेकर नम्बर से कम हो।
निर्णय जुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) पंचवली